

फाइल सं. ए.12018/12/2024-एमएच-II (एफटीएस सं. 8259964)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन नई दिल्ली-110011

दिनांक 02 सितम्बर, 2024

### नोटिस

यह मंत्रालय स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आरएचटीसी अस्पताल, नजफगढ़ में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद के पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के प्रारूप को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए भर्ती नियम बनाने के प्रस्ताव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ विचार करने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नंबर 401-डी, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जाएं और सॉफ्ट कॉपी [anuradha.ramakrishan@nic.in](mailto:anuradha.ramakrishan@nic.in) पर भेजी जाएं।

अनुराधा.आर.के.

(अनुराधा रामकृष्णन)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष:-23061640

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र  
नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043

अधिसूचना

सा.का.नि. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, आरएचटीसी अस्पताल, नज़फगढ़, नई दिल्ली में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, समूह 'ख', गैर-राजपत्रित के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: निम्नलिखित नियम अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, आरएचटीसी अस्पताल, नज़फगढ़, नई दिल्ली, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, (समूह 'ख'), गैर-राजपत्रित, भर्ती नियम, 2024 है।
2. लागू होना- ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे। ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि: - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।
7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची का प्रारूप

चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	05* (2024) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -6 (रु. 35400 - 112400/-)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
6	7	8
अधिकतम 30 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट)  नोट 1: आयु-सीमा का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पद को भरने के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन में निर्दिष्ट तारीख के अनुसार होगा।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री; (ख) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो साल का अनुभव। नोट 1: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामलों में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज कर योग्यता में छूट दी जा सकती है।  नोट 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, यदि कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है; तो चयन के किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर, लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज कर अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट दे सकता है।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11

<p>दो वर्ष</p> <p>नोट: परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त या वैधानिक संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 (रु. 29200 – 92300/-) में छः वर्ष की नियमित सेवा की है, और</p> <p>(ख) कॉलम-7 में सीधी भर्ती के लिए दी गई निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
<b>12</b>	<b>13</b>
<p>समूह 'बी' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अस्पताल/चिकित्सा अधीक्षक, आरएचटीसी अस्पताल-अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित विभाग के प्रमुख, आरएचटीसी अस्पताल-सदस्य;</li> <li>3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आरएचटीसी, अस्पताल का काम देख रहे हैं-सदस्य;</li> </ol>	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।